- 25 -

पत्र संख्या–सं0का0–1/वि0मं0–02–37/2007–655

बिहार सरकार

संसदीय कार्य विभाग

प्रेषक,

अनूप मुखर्जी,
मुख्य सचिव, बिहार।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सचिव/प्रमण्डलीय आयुक्त/पुलिस महानिरीक्षक/
पुलिस उप–महानिरीक्षक/जिला पदाधिकारी/आरक्षी अधीक्षक।

पटना, दिनांक–10 मई, 2010

विषय : माननीय सांसदों एवं विधायकों से प्राप्त पत्रों का उत्तर देने एवं उन्हें सौजन्यता प्रदर्शित करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त **विषय के संबंध में कहना है कि दिनांक 15.04.2010 को संसदीय कार्य विभाग की** विभागीय परामर्शदातृ **समिति की बैठक में यह शिकायत की** गई कि :–

(क) विधायक लोग सरकार के पदाधिकारियों को पत्र लिखते हैं, लेकिन उनका उत्तर उन्हें प्राप्त नहीं होते हैं;

(ख) जिला एवं अनुमंडल के पदाधिकारियों के द्वारा विधायकों के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार नहीं किया जाता है।

2. विदित हो कि संसदीय प्रणाली की सरकार में विधायिका का स्थान सर्वोच्च है। लोक सेवकों को सांसदों/विधायकों के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करना चाहिए। उनके पत्रों का समय पर जबाब देना चाहिए तथा उनसे मिलना चाहिए। इस संबंध में विभागीय पत्रांक–248 दि०–08.04.1999, पत्रांक–404 दि०–07.06.2000, पत्रांक–199 दि०–23.03.2006 एवं पत्रांक–869 दि०–11.09.2006 के द्वारा समय–समय पर दिशा–निर्देश दिये गये हैं। फिर भी, इस संबंध में पुनः निदेश दिया जाता है कि –

(क) माननीय सांसदों/विधायकों द्वारा जब कोई पत्र भेजा जाता है तो ऐसे पत्र की प्राप्ति की सूचना उन्हें पन्द्रह दिनों के अन्दर भेजी जाय तथा पत्र में उल्लिखित विषयों पर तत्परतापूर्वक समुचित कार्रवाई की जाये। इसके उपरान्त अगले पन्द्रह दिनों के अन्दर उस पर कार्रवाई कर कृत **कार्रवाई से संबंधित सांसदों/विधायकों को अवगत करा दिया जाय।**

(ख) **सभी विभागों/सभी विभागाध्यक्षों एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में सांसदों/ विधायकों से** प्राप्त पत्रों के लिए पंजी रखी जाय। उनके पत्र की प्राप्ति सूचना एवं उत्तर पत्र द्वारा दिया जाय, जिसकी संख्या एवं तिथि उसी पंजी में सुलभ निदेश हेतु अंकित कर ली जाय।

(ग) सरकार का प्रत्येक विभाग हर माह के अंतिम सप्ताह में सांसदों/विधायकों से प्राप्त पत्रों के निष्पादन की समीक्षा करे तथा प्रतिवेदन संसदीय कार्य विभाग को निश्चित रूप से अगले माह के प्रथम सप्ताह तक भेज दें। इस तरह की कार्रवाई विभागाध्यक्ष एवं क्षेत्रीय पदाधिकारीगण तथा जिला कार्यालय के प्रधान भी करेंगे।

(घ) माननीय सांसदों/विधायकों से सुविधानुसार समय निकाल कर मिला करें।

जो पदाधिकारी इसका अनुपालन नहीं करेंगे उनके विरूद्ध अनुशासनिक कारवाई की जायेगी।

विश्वासभाजन,

अ0 मुखर्जी

(अनूप मुखर्जी)
मुख्य सचिव, बिहार।

F:\My Documents\27-04-2010.doc